इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 05.10.2016 को जोनल अधिकारी डॉ0 विश्राम, (पी0सी0एस0) के नेतृत्व में जोन–3 के अन्तर्गत दारागंज, अल्लापुर, सोहबतियाबाग, बैरहना, बाई का बाग आदि क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध बड़े–बड़े भवनों एवं गेस्ट हाउसों में व्यापक कार्यवाही की गयी जो निम्नवत है :–

1. भवन संख्या 300/184 मधवापुर, इलाहाबाद पर अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमित भाग को ध्वस्त कराया गया।
2. संचालित बन्धन वाटिका, (लगभग 1,000 वर्गमीटर) बाई का बाग, इलाहाबाद को सील किया गया।
3. श्री राकेश वैश्य, मकान नं0 505, निराला मार्ग, दारागंज पर सील बन्दी किया गया।
4. श्री राघवेन्द्र सिंह मकान नं0 1/85, बाघम्बरी गद्दी रोड पर लगभग 30 **x** 50 फिट के क्षेत्रफल में सील बन्दी किया गया।
5. श्री श्याम लाल मिश्रा मकान नं0 48/87ए/2ए, बाघम्बरी रोड, अल्लापुर, में लगभग 25 **x** 60 फिट के क्षेत्रफल में सील बन्दी किया गया।
6. श्रीमती महादेवी पत्नी श्री नेऊर यादव पता–295, मि0 जमला पट्टी जलाल अन्द रून झण्डी पर लगभग 30 **x** 35 के क्षेत्रफल में सील किया गया।
7. श्री राहुल पटेल व रवि पटेल पुत्र स्व0 सरोज पटेल 16/07/10, डंडिया, अल्लापुर में लगभग 10 **x** 12 के चार कमरों का निर्माण सील किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय स्थलों से कार्य बन्द कराते हुए निर्माण सामग्री जब्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु कठोर निर्देश एवं चेतावनी दी गयी। उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री डी0के0पाण्डेय, भवन निरीक्षक श्री घनश्याम तिवारी, भवन निरीक्षक, श्री विजय शंकर पाण्डेय, प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल भी सम्मिलित थे। जोनल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियान निरन्तर जारी रखा जायेगा।

(डॉ0 विश्राम),
पी0सी0एस0
विशेष कार्याधिकारी/जोनल अधिकारी–3

प्रतिलिपि : सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित, कि विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 विश्राम),
पी0सी0एस0
विशेष कार्याधिकारी/जोनल अधिकारी–3